स्विस मिलिट्री कंज्यूमर गुड्स लिमिटेडसी

सीआईएन : L51100DL1989PLC034797
पंजीकृत कार्यालय : डब्ल्यू–39, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया, फेज–।।, नई दिल्ली–110020
दूरभाष : 011–41067060, ईमेल : investor@swissmilitaryshop.com,
वेबसाइट : www.swissmilitaryindia.com

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) / अन्य ऑडियो–विजुअल माध्यमों ('ओएवीएम') के द्वारा आयोजित होने वाली 37वीं वार्षिक सामान्य बैठक ('एजीएम') की सूचना

सदस्यों से अनुरोध है कि वे ध्यान दें कि कंपनी के सदस्यों की 37वीं वार्षिक सामान्य बैठक (''एजीएम'') शुक्रवार, 25 सितंबर 2026 को दोपहर 12:00 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) / अन्य ऑडियो–विजुअल माध्यमों (ओएवीएम) के जरिए आयोजित की जाएगी। यह बैठक कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय ('एमसीए') द्वारा जारी सामान्य परिपत्र संख्या 14/2020 दिनांक 8 अप्रैल 2020 तथा इस संबंध में जारी बाद के परिपत्रों (नवीनतम सामान्य परिपत्र संख्या 3/2025 दिनांक 22 सितंबर 2025) (जिन्हें इसमें आगे सामूहिक रूप से 'एमसीए परिपत्र' कहा गया है) और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा जारी प्रासंगिक परिपत्रों के अनुपालन में, 14 अगस्त 2026 की एजीएम सूचना में निर्धारित साधारण और विशेष कार्यों को निष्पादित करने के लिए आयोजित की जाएगी, जिसे यथासमय प्रसारित किया जाएगा।

उपरोक्त परिपत्रों के अनुपालन में, 37वीं एजीएम को बुलाने की सूचना तथा वित्तीय वर्ष 2025–26 की वार्षिक रिपोर्ट केवल कंपनी के सदस्यों एवं अन्य अधिकृत व्यक्तियों के (कंपनी/डिपॉजिटरी के पास) पंजीकृत ईमेल आईडी पर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भेजी जाएगी। इसके अलावा, जिन शेयरधारकों ने अपना ईमेल पता पंजीकृत नहीं कराया है, उन्हें एजीएम की सूचना और वित्तीय वर्ष 2025–26 की वार्षिक रिपोर्ट तक पहुंचने के लिए एक वेब लिंक प्रदान करने वाला पत्र भेजा जाएगा। ये दस्तावेज कंपनी की वेबसाइट www.swissmilitaryindia.com, स्टॉक एक्सचेंज अर्थात् बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट www.bseindia.com तथा एनएसडीएल की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com पर भी निवेशक संबंध अनुभाग में उपलब्ध रहेंगे।

कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') की धारा 108 के तहत कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 (यथा संशोधित) तथा सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 (यथा संशोधित) के नियम 44 के साथ पठित प्रावधानों के अनुसार, 37वीं एजीएम में विचारार्थ प्रस्तावों का निष्पादन एजीएम के दौरान ई–वोटिंग के माध्यम से किया जाएगा। तदनुसार, कंपनी ने सदस्यों को रिमोट ई–वोटिंग या एजीएम में ई–वोटिंग के माध्यम से अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए सेवाएं प्रदान करने हेतु नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड को नियुक्त किया है। ई–वोटिंग प्रक्रिया पर निर्देश, जिसमें यह तरीका भी शामिल है कि भौतिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्य जिन्होंने अपना ईमेल पता पंजीकृत नहीं कराया है, वे ई–वोटिंग के माध्यम से अपना वोट कैसे डाल सकते हैं, 37वीं एजीएम की सूचना के हिस्से के रूप में प्रदान किए जाएंगे। वीसी के माध्यम से भाग लेने वाले सदस्यों को अधिनियम की धारा 103 के तहत कोरम की गणना के लिए गिना जाएगा। एजीएम में ई–वोटिंग की सुविधा भी प्रदान की जाएगी तथा एजीएम में उपस्थित होने वाले वे सदस्य जिन्होंने रिमोट ई–वोटिंग के माध्यम से अपना वोट नहीं डाला है, वे एजीएम में अपना वोट डाल सकेंगे।

ईमेल पते पंजीकृत/अद्यतन करने का तरीका :

भौतिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्य, जिन्होंने कंपनी के पास अपना ईमेल पता और मोबाइल नंबर पंजीकृत नहीं कराया है, उनसे अनुरोध है कि वे प्रासंगिक दस्तावेजों के साथ आरटीए को फॉर्म आईएसआर–1 की भौतिक प्रति जमा करके अपना ईमेल पता और मोबाइल नंबर अद्यतन करें। यह प्रति अलंकित असाइनमेंट्स लिमिटेड, यूनिट– स्विस मिलिट्री कंज्यूमर गुड्स लिमिटेड, अलंकित हाउस, 1ई/13, झंडेवालान एक्सटेंशन, नई दिल्ली–110055 पर जमा करें या कंपनी को investor@swissmilitaryshop.com पर या कंपनी के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट अर्थात् अलंकित असाइनमेंट लिमिटेड को rta@alankit.com पर ईमेल भेजें।

डिमैटेरियलाइज्ड (डीमैट) रूप में शेयर रखने वाले सदस्य, जिन्होंने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स ('डीपी') के पास अपना ईमेल पता और मोबाइल नंबर पंजीकृत/अद्यतन नहीं कराया है, उनसे अनुरोध है कि वे अपने ईमेल पते और मोबाइल नंबर को उस डीपी के पास पंजीकृत/अद्यतन करें जिसके पास वे अपना डीमैट खाता रखते हैं।

सदस्यगण ध्यान दें कि निदेशक मंडल ने 22 मई 2026 को आयोजित अपनी बैठक में 5% अर्थात् रु. 0.10/– प्रति शेयर के अंतिम लाभांश की सिफारिश की है। लाभांश आगामी एजीएम में सदस्यों के अनुमोदन के अधीन है और एजीएम की तिथि से 30 दिनों के भीतर उन सदस्यों को भुगतान किया जाएगा जिनके नाम रिकॉर्ड तिथि अर्थात् 18 सितंबर 2026 को सदस्यों के रजिस्टर में दर्ज होंगे। यह भुगतान विभिन्न ऑनलाइन अंतरण माध्यमों से उन सदस्यों को किया जाएगा जिन्होंने अपने बैंक खाते का विवरण अद्यतन कर लिया है।

प्रासंगिक सेबी परिपत्रों के अनुसार, 01 अप्रैल 2024 से भौतिक रूप में शेयर धारक सदस्यों को लाभांश का भुगतान, तब केवल इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से किया जाएगा, यदि फोलियो केवाईसी अनुपालनयुक्त है। एक फोलियो को केवाईसी अनुपालनयुक्त तब माना जाएगा जब फोलियो में सभी धारकों के विवरण अर्थात् पिन कोड सहित पूरा पता, मोबाइल नंबर, ईमेल, बैंक विवरण, आधार से लिंक वैध पैन, नामांकन आदि पंजीकृत होंगे। लाभांश प्राप्त करने में देरी से बचने के लिए सदस्यों से अनुरोध है कि वे निर्धारित समयावधि के भीतर ऊपर उल्लेखित अनुसार अपना पूरा बैंक खाता विवरण अद्यतन करें।

सदस्यगण आगे ध्यान दें कि आयकर अधिनियम, 2025 के प्रावधानों के अनुसार कंपनी द्वारा भुगतान या वितरित किया गया लाभांश शेयरधारकों के हाथों में कर योग्य होगा। इसलिए कंपनी को लाभांश का भुगतान करते समय स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) करने की आवश्यकता होगी। यथा लागू उचित टीडीएस दर निर्धारित करने में हमें सक्षम बनाने के लिए, सदस्यों से अनुरोध है कि वे 18 सितंबर 2026 तक आरटीए के ईमेल rta@alankit.com पर ऑनलाइन कर छूट फॉर्म जमा करें।

सदस्यगण किसी भी आगे के स्पष्टीकरण के लिए श्री जे. के. सिंगला – वरिष्ठ प्रबंधक, यूनिट– स्विस मिलिट्री कंज्यूमर गुड्स लिमिटेड, अलंकित असाइनमेंट्स लिमिटेड, अलंकित हाउस, 1ई/13, झंडेवालान एक्सटेंशन, नई दिल्ली–110055 पर या rta@alankit.com पर या 011–4254–1100 पर संपर्क कर सकते हैं। कंपनी के सदस्यगण श्री विकास जैन, कंपनी सचिव, स्विस मिलिट्री कंज्यूमर गुड्स लिमिटेड, डब्ल्यू–39, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया, फेज–।।, नई दिल्ली–110020, संपर्क नंबर 011–41067060 से भी संपर्क कर सकते हैं और investor@swissmilitaryshop.com पर ईमेल लिख सकते हैं।

निदेशक मंडल के आदेशानुसार
कृते स्विस मिलिट्री कंज्यूमर गुड्स लिमिटेड
हस्ता./–
विकास जैन
कंपनी सचिव

तिथि : 25 अगस्त 2026
स्थान : नई दिल्ली

कब्जा सूचना

जबकि नीचे हस्ताक्षरकर्ता एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी (इंडिया) लिमिटेड, आर्सिल – 2024C-004–ट्रस्ट ("आर्सिल") के ट्रस्टी के रूप में कार्यरत के प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 का 54) ('उक्त अधिनियम') के अंतर्गत और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 ('उक्त नियम') के नियम 3 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एक मांग नोटिस जारी किया, जिसमें उधारकर्ता(ओं), गारंटरों और बंधकधारकों से राशि चुकाने का आह्वान किया गया है, जिसका विवरण नीचे दी गई तालिका में दिया गया है: उधारकर्ता(ओं), गारंटरों और बंधककर्ताओं द्वारा उक्त राशि वापस करने में विफल रहने के कारण, विशेष रूप से उधारकर्ता(ओं), गारंटरों और बंधकधारकों और आम जनता को यह सूचित किया जाता है कि नीचे हस्ताक्षरकर्ता ने उक्त अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (4) के साथ पठित उक्त नियमों के नियम 8 के अंतर्गत उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे उल्लिखित तारीख को "जैसा है जहां है और जो कुछ भी है के आधार पर" नीचे वर्णित अंतर्निहित अचल संपत्ति का भौतिक कब्जा ले लिया है:

क्र. सं.	ऋणकर्ता का नाम और गारंटरों,	एलएएन सं. / ट्रस्ट का नाम/ बैंक का नाम	मांग सूचना दिनांक एवं राशि	कब्जा तिथि/ कब्जे का प्रकार
1.	उधारकर्ता : मनोज कुमार और अंजू रानी	(एलएएन – 14100006266) आर्सिल–ट्रस्ट–2025–008	31–03–2021 तक रु. 7,26,754/– (सात लाख छब्बीस हज़ार सात सौ चौवन रुपये), साथ ही 01–04–2021 से उक्त राशि पर अनुबंध दर से भविष्य का ब्याज और साथ में आकस्मिक खर्च, लागत, शुल्क आदि। **नोटिस की तारीख:**	20–08–2026 / (प्रतीकात्मक कब्ज़ा)
संपत्ति का विवरण: खसरा नंबर 5636/1185/2, 5367/1186/1, 1 सैनी कॉलोनी, कच्चा काबरी रोड, जींद रेलवे लाइन के पास, पानीपत, हरियाणा – 132103 वाली संपत्ति का समस्त टुकड़ा एवं अंश, जिसकी मालकिन अंजू रानी हैं, जिसे आगे "अचल संपत्ति" कहा जाएगा।				
2.	उधारकर्ता: रोहित कुमार मिश्रा, विष्णुदेव मिश्रा	(एलएएन– 14100001772 आर्सिल–ट्रस्ट–2025 –008	27–05–2021 29.02.2020 तक 12,82,165/–रुपये (बारह लाख बयासी हज़ार एक सौ पैंसठ रुपये), साथ ही 01–03–2020 से उक्त राशि पर अनुबंध दर से भविष्य का ब्याज और साथ में आकस्मिक खर्च, लागत, शुल्क आदि। **नोटिस की तारीख:**	20–08–2026 / (प्रतीकात्मक कब्ज़ा)
संपत्ति का विवरण: खेवट नंबर 79, खाता नंबर 108, किला नंबर 47//21, गांव गढ़ी केसरी, नगर पालिका हरिनगर, गन्नौर, सोनीपत, हरियाणा – 131101 वाली संपत्ति का समस्त टुकड़ा एवं अंश । इसकी सीमाएं इस प्रकार हैं:– पूर्व की ओर:– गली/रास्ता, पश्चिम की ओर:– दूसरे का प्लॉट, उत्तर की ओर:– गली/रास्ता, दक्षिण की ओर:– दूसरे का प्लॉट, संपत्ति के मालिक रोहित कुमार मिश्रा हैं। इसे "अचल संपत्ति" कहा जाएगा				
3.	उधारकर्ता: इरशाद सैफी, शबनम एस	(एलएएन– 14100002838) आर्सिल–ट्रस्ट–2025–008	16–06–2020 30.09.2023 तक रु.28,90,590/– (अट्ठाईस लाख नब्बे हज़ार पाँच सौ नब्बे रुपये), साथ ही 01–10–2023 से उक्त राशि पर अनुबंध दर से भविष्य का ब्याज और साथ में आकस्मिक खर्च, लागत, शुल्क आदि। **नोटिस की तारीख: 27–10–2023**	20–08–2026 / (प्रतीकात्मक कब्ज़ा)
संपत्ति का विवरण: खेवट नंबर 79 मिन, किला नंबर 20//22/2 (3–4) का 3/64 हिस्सा, विकास नगर, समालखा, पानीपत, हरियाणा – 132101 वाली संपत्ति का समस्त टुकड़ा एवं अंश। इसकी सीमाएँ इस प्रकार हैं: पूर्व की ओर:– अनीता रानी का प्लॉट, पश्चिम की ओर:– भरत का प्लॉट, उत्तर की ओर:– मोमिन का प्लॉट, दक्षिण की ओर:– 18 फीट चौड़ी सड़क, शबनम सैफी की संपत्ति, जिसे आगे "अचल संपत्ति" कहा जाएगा।				

विशेष रूप से उधारकर्ताओं/गारंटरों/बंधककर्ताओं तथा आम जनता को एतद्द्वारा सावधान किया जाता है कि ऊपर उल्लिखित अचल संपत्ति पर आर्सिलिस का वैध कब्जा है तथा सरफेसी अधिनियम, 2002 की धारा 13(13) के अंतर्गत, उधारकर्ताओं/गारंटरों/बंधककर्ताओं या कोई भी व्यक्ति, इस नोटिस की प्राप्ति के पश्चात् आर्किल की पूर्व लिखित सहमति के बिना अचल संपत्ति को बिक्री, पट्टे या अन्यथा लेन–देन/अलगाव के माध्यम से हस्तांतरित नहीं करेगा तथा अचल संपत्ति के साथ कोई भी लेन–देन उपर्युक्त राशि के लिए आर्सिल के प्रभार के अधीन होगा, साथ ही उक्त राशि पर संविदात्मक दर पर भविष्य का ब्याज तथा आकस्मिक व्यय, लागत, शुल्क आदि भी देय होंगे।

उधारकर्ताओं/गारंटरों/बंधककर्ताओं का ध्यान ऊपर उल्लिखित अचल संपत्ति को भुनाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में उक्त अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (8) के प्रावधानों की ओर आकृष्ट किया जाता है।

हस्ता./– प्राधिकृत अधिकारी
स्थान: लखनऊ — एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी (इंडिया) लिमिटेड
दिनांक: 26.08.2026 — आर्सिल – 2024C–004–ट्रस्ट ("आर्सिल") के ट्रस्टी

Arcil Premier ARC

एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी (इंडिया) लिमिटेड,

सीआईएन: U65999MH2002PLC134884,
वेबसाइट: www.arcil.co.in
पंजीकृत कार्यालय: द रूबी, 10वीं मंजिल, 29 सेनापति बापट मार्ग, दादर (पश्चिम), मुंबई–400 028 दूरभाष+91 66581300,
शाखा पता: पहली मंजिल, प्लॉट रु सी 48, इज्ना टावर, विभूति खंड, गोमती नगर, लखनऊ–226010, उत्तर प्रदेश, फोन: 0522–4241603

आइकॉन फैसिलिटेटर्स लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय: सी–28, दूसरी मंजिल सामुदायिक केंद्र, जनकपुरी, नई दिल्ली, भारत, 110058 फोन: 011–42603176, ईमेल: iconfacilities@gmail.com
वेबसाइट: www.iconf.in; सीआईएन: L93000DL2013PLC258273

वीडियो कॉन्फ्रेंस / अन्य ऑडियो विजुअल माध्यमों के जरिए आयोजित होने वाली 13वीं वार्षिक आम बैठक के उद्देश्य से ईमेल आईडी के पंजीकरण हेतु सूचना

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि **आइकन फैसिलिटेटर्स लिमिटेड** की 13वीं वार्षिक आम बैठक (''एजीएम'') सोमवार, सितंबर 28, 2026 को 03:30 बजे. पर वीडियो कॉन्फ्रेंस (''वीसी'') /अन्य ऑडियो विजुअल माध्यम (''ओएवीएम'') के माध्यम से आयोजित की जानी निर्धारित है, जिसमें एजीएम आयोजित करने के लिए एजीएम नोटिस में निर्धारित कार्यों का निष्पादन किया जाएगा, जिसे नियत समय में परिचालित किया जाएगा। कंपनी ने कंपनी के सदस्यों को एजीएम से पूर्व और एजीएम के दौरान रिमोट ई–वोटिंग की सुविधा प्रदान करने के लिए सीडीएसएल को नियुक्त किया है।

कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) द्वारा जारी सामान्य परिपत्र संख्या 03/2025 दिनांक 22 सितंबर, 2025 और सेबी (लिस्टिंग दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) (विनियम) 2015 के साथ पठित, कंपनियों को सदस्यों की किसी सामान्य स्थल पर भौतिक उपस्थिति के बिना वीडियो कॉन्फ्रेंस (वीसी)/अन्य ऑडियो विजुअल माध्यम (''ओएवीएम'') के माध्यम से वार्षिक आम बैठक आयोजित करने की अनुमति है। अतः, जैसा कि ऊपर कहा गया है, कंपनी की 13वीं एजीएम सोमवार, 28 सितंबर, 2026 को अपराह्न 03:30 बजे वीसी/ओएवीएम के माध्यम से सदस्यों की भौतिक उपस्थिति के बिना आयोजित की जाएगी।

31 मार्च, 2026 को समाप्त वित्तीय वर्ष के वित्तीय विवरणों सहित वार्षिक रिपोर्ट, एजीएम की सूचना के साथ, उन सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से भेजी जाएगी जिनके ईमेल पते कंपनी/कंपनी के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट/संबंधित डिपॉजिटरी प्रतिभागी(यों) के पास पंजीकृत हैं, जैसा कि ऊपर उल्लिखित परिपत्रों के अनुसार है। सूचना और वार्षिक रिपोर्ट की कोई भौतिक प्रति किसी भी सदस्य को नहीं भेजी जाएगी, हालांकि अनुरोध किए जाने पर शेयरधारकों को वार्षिक रिपोर्ट की भौतिक प्रति भेजी जाएगी।

कंपनी उन सदस्यों को भौतिक संचार भी भेजेगी, जिनके ईमेल पते डीपी के पास पंजीकृत/अद्यतन नहीं हैं, जिसमें सूचना, वित्त वर्ष 2025–26 की वार्षिक रिपोर्ट और अन्य प्रासंगिक दस्तावेजों तक पहुँचने के लिए कंपनी की वेबसाइट का वेब–लिंक शामिल होगा।

सदस्य ध्यान दें कि वर्ष 2025–26 के लिए एजीएम की सूचना और वार्षिक रिपोर्ट कंपनी की वेबसाइट ूण्पबवदण्पिद, स्टॉक एक्सचेंज अर्थात ठैम् स्पउपजमक की वेबसाइट ूइेमपद. कपंण्बवउ और रजिस्ट्रार की वेबसाइट पर भी उपलब्ध होगी और एजीएम की सूचना सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल)की वेबसाइट ूण्ष्मअवजपदहपदकपंण्बवउ पर भी उपलब्ध है। एजीएम में शामिल होने के निर्देश एजीएम की सूचना में दिए गए हैं।

वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने वाले सदस्यों की गणना अधिनियम की धारा 103 के तहत कोरम निर्धारित करने के उद्देश्य से की जाएगी।

कंपनी अपने सभी सदस्यों को एजीएम की सूचना में निर्धारित सभी प्रस्तावों पर अपने मत डालने के लिए रिमोट ई–वोटिंग सुविधा (''रिमोट ई–वोटिंग '') प्रदान कर रही है। इसके अतिरिक्त, एजीएम के दौरान ई–वोटिंग प्रणाली के माध्यम से मतदान की सुविधा सदस्यों को प्रदान की जाएगी, जिसका विवरण ।ळड की सूचना में दिया गया है।

ई–मेल पता पंजीकृत/अपडेट करने का तरीका:

चूंकि कंपनी की संपूर्ण शेयरधारिता डीमैटीरियलाइज्ड रूप में धारित है, सभी सदस्यों से अनुरोध है कि वे सभी भावी शेयरधारक संचार प्राप्त करने के लिए अपने संबंधित डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट(ो) (डीपीएस) के पास अपना ईमेल पता/पते पंजीकृत/अपडेट करें। एजीएम की सूचना और वार्षिक रिपोर्ट 2025–2026 लागू कानूनों के अनुसार नियत समय में शेयरधारकों के पंजीकृत ई–मेल पतों पर भेजी जाएगी।

आइकॉन फैसिलिटेटर्स लिमिटेड के लिए
हस्ता/–
पुजा
दिल्ली कंपनी सचिव

दिनांक 26.08.2026
स्थान: नई

टाटा कैपिटल लिमिटेड

TATA

पंजीकृत कार्यालय: 11 वीं मंजिल, टॉवर ए, पेनीनसुला बिजनेस पार्क, गणपतराव कदम मार्ग, लोवर परेल, मुम्बई-400013.
शाखा कार्यालय: तीसरी मंजिल, राजेन्द्र पाईंट 1, रघुनाथ नगर, एन.जी. रोड़, आगरा – 282002.

अचल संपत्ति के विक्रय के लिए बिक्री सूचना

(प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 9(1) के साथ पठित नियम 8(6) के तहत)

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 9(1) के साथ पठित नियम 8(6) वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन अचल आस्तियों के विक्रय हेतु ई–नीलामी विक्रय नोटिस

ऋण खाता क्रं. 7900617 एवं जीईसीएल ऋण खाता क्रं. TCFLA0370000010874200: मेसर्स गर्वित कम्युनिकेशन

यह सूचित किया जाता है कि **टाटा कैपिटल लिमिटेड (टीसीएल)** एक गैर–बैंकिंग वित्त कंपनी है और कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के तहत निगमित है और इसका पंजीकृत कार्यालय पेनिनसुला बिजनेस पार्क, टॉवर ए, 11वीं मंजिल, गणपतराव कदम मार्ग, लोअर परेल, मुंबई–400013 में और **आगरा, उत्तरप्रदेश** में अन्य स्थानों के बीच एक शाखा कार्यालय ("शाखा") है, दिनांक 24.11.2023 के आदेशों के तहत, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) मुंबई ने टाटा कैपिटल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड ("टीसीएफएसएल") और टाटा क्लीनटेक कैपिटल लिमिटेड ("टीसीसीएल") के बीच हस्तांतरणकर्ता और टाटा कैपिटल लिमिटेड ("टीसीएल") हस्तांतरिती के रूप में, के बीच व्यवस्था की योजना को कंपनी अधिनियम, 2013 ("उक्त योजना") की धारा 66 और अन्य लागू प्रावधानों के साथ पठित धारा 230 से 232 के प्रावधानों के तहत विधिवत मंजूरी दे दी है। इसके संदर्भ में, टीसीएफएसएल और टीसीसीएल (ट्रांसफरर कंपनियां) अपने उपक्रम के साथ सभी संपत्तियों, परिसंपत्तियों, अधिकारों, लाभ, ब्याज, कर्तव्यों, दायित्वों, देनदारियों, अनुबंधों, समझौतों, प्रतिभूतियों आदि, जैसा कि प्रभावी तिथि यानी 01.01.2024 से साथ एक चालू कंपनी के रूप में टीसीएल में विलय कर चुकी हैं। उक्त आदेश और योजना के अनुसरण में, टीसीएफएसएल द्वारा निष्पादित सभी सुविधा दस्तावेज और उनके संबंध में सभी बकाया आवेदक कंपनी को हस्तांतरित कर दिए गए और इस प्रकार टीसीएल वहां की शर्तों के अनुसार (उधारकर्ताओं / सह–उधारकर्ताओं) से दावा करने का हकदार है।

निम्नलिखित ऋणकर्ता/सह–ऋणकर्ता को व्यक्तिगत रूप से तथा जनसामान्य को सार्वजनिक रूप से एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि **टाटा कैपिटल लिमिटेड (प्रतिभूत लेनदार/ टीसीएल)** के पास गिरवीकृत नीचे वर्णित अचल सम्पत्ति जिसका कब्जा टाटा कैपिटल लिमिटेड (प्रतिभूत लेनदार) के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा कर लिया गया है, की बिक्री **"जैसे है जहाँ है" तथा "जो है वही है" और "जो कुछ भी है वहीं है तथा उपचार रहित"** आधार पर **22 सितंबर 2026** को की जायेगी।

जबकि प्रतिभूत आस्ति का विक्रय प्रतिभूति ऋण की वसूली के लिए किया जाना है और जबकि दिनांक **18 अगस्त, 2026 को राशि रू. 70,47,833/– (रूपये सत्तर लाख सैंतालीस हजार आठ सौ तैंतीस मात्र) अर्थात् लोन अकाउंट नंबर 7900617 में रू. 63,37,263/– एवं जीईसीएल लोन अकाउंट नंबर TCFLA0370000010874200 में रू. 7,10,570/– कर्जदारों एवं सहकर्जदारों/जमानतदारों** अर्थात **(1) मेसर्स गर्वित कम्युनिकेशन, प्रोपराइटर ललित रहेजा के माध्यम से,** दुकान नंबर 5, तल मंजिल, सिटी प्लाजा, शाह मार्केट, आगरा, उत्तर प्रदेश– 282002; **(2) ललित रहेजा पिता मनोहर लाल रहेजा; (3) मनोहर लाल रहेजा पिता कुंदन लाल रहेजा, दोनों निवासी** : फ्लैट जी–1, तल मंजिल, शिवा अपार्टमेंट, शुभम विहार, फेज–।। प्लॉट नं.52, खसरा नं.317/16, कर्मयोगी, आगरा, उत्तर प्रदेश – 282003; **अन्य पता:** 29/291/1, कटरा हाजी हसन कला महल, आगरा, उत्तर प्रदेश– 282003; **अन्य पता:** 37/115, हकीम गली, बेलनगंज, आगरा, उत्तर प्रदेश– 282001 से बकाया है।

एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि विक्रय के किसी विलम्बन अनिरन्तरता के उपस्थित होने पर कथित सम्पत्ति का विक्रय ई–नीलामी के माध्यम से **टीसीएल** द्वारा कथित **22 सितंबर, 2026** को **2:00 बजे अपरान्ह** शाखा कार्यालय **तीसरी मंजिल, राजेन्द्र पाईंट 1, रघुनाथ नगर, एम.जी. रोड़, आगरा–282002** पर किया जायेगा।

ईएमडी राशि के डिमाण्ड ड्राफ्ट सहित सम्पत्ति के क्रय हेतु मुहरबन्द ई–नीलामी कथित **21 सितंबर, 2026** को **5:00 बजे अपरान्ह** तक **टाटा कैपिटल लिमिटेड** के अधिकृत प्राधिकारी द्वारा ग्रहण किया जायेगा।

सुरक्षित संपत्ति का विवरण	आधिपत्य का प्रकार रचनात्मक/ भौतिक	आरक्षित मूल्य (रू.)	बयाना राशि (रू.)
संपत्ति क्रमांक 1: **फ्लैट नंबर जी–1, तल मंजिल, प्लॉट नंबर 52 पर निर्मित, खसरा नंबर 317/16 के अंतर्गत आने वाली भूमि, कुल क्षेत्रफल 66.17 वर्ग मीटर, स्थित शिवा अपार्टमेंट, शुभम विहार, फेज–II, हरिपर्वत वार्ड, तहसील व जिला आगरा, उत्तर प्रदेश, जिसका विस्तृत विवरण ललित रहेजा के पक्ष में निष्पादित बिक्री विलेख दिनांक 03.08.2016 में दिया गया है।**	भौतिक	Rs. 35,64,000/- (रूपये पैंतीस लाख चौसठ हजार मात्र)	Rs. 3,56,400/- (रूपये तीन लाख छप्पन हजार चार सौ मात्र)
संपत्ति क्रमांक 2: **मकान नंबर जी–1 का भाग, तल मंजिल, प्लॉट नंबर 52 पर निर्मित, खसरा नंबर 317/16 के अंतर्गत आने वाली भूमि, कुल क्षेत्रफल 54.07 वर्ग मीटर, स्थित शिवा अपार्टमेंट, शुभम विहार, फेज–II, हरिपर्वत वार्ड, तहसील व जिला आगरा, उत्तर प्रदेश, जिसका विस्तृत विवरण ललित रहेजा के पक्ष में निष्पादित बिक्री विलेख दिनांक 22.07.2016 में दिया गया है।**			

बिक्री के लिए रखी जाने वाली संपत्ति ऊपर वर्णित अनुसार सुरक्षित परिसंपत्ति के अंदर या भीतर पड़ी चल वस्तुएं घरेलू सूची यदि कोई हो तो सुरक्षित परिसंपत्ति के साथ बिक्री के लिए तब तक उपलब्ध नहीं होगी जब तक कि नीलामी बिक्री नोटिस में विशेष रूप से वर्णित न हो। विक्रय उस दशा में रोक दिया जाएगा जब प्राधिकृत अधिकारी के पास इस बात का सबूत पेश किया जाए या उन्हें इस बात से संतुष्ट किया जाए कि समस्त ब्याज एवं लागत (विक्रय की लागत सहित) सहित उक्त देय राशि का भुगतान कर दिया गया है। विक्रय प्रकिया में सामान्य रूप से सर्वसामान्य व्यक्तियों को अपनी निविदा प्रस्तुत करने हेतु आमंत्रित किया गया है। इस विक्रय से सम्बन्धित किसी प्रकार का कर्तव्य निर्वहन करने वाला कोई अधिकारी या अन्य व्यक्ति विक्रीत सम्पत्ति के अधिग्रहण या किसी हित के अधिग्रहण के प्रयास हेतु प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संविदा नहीं कर सकेगा। यह बिक्री सरफेसी अधिनियम, 2002 के तहत निर्धारित नियमों शर्तों के अधीन होगी। ई–नीलामी प्रत्येक 10 मिनट के असीमित विस्तार सहित **22 सितंबर 2026** को **2.00 बजे अपरान्ह से 3.00 बजे अपरान्ह** के बीच पोर्टल **https://BidDeal.in** के माध्यम से की जायेगी सम्पत्ति के क्रय हेतु जमा की गयी समस्त संविदाओं के साथ ऊपर लिखे के अनुसार जमा धरोहर राशि **आगरा** में देय" **टाटा कैपिटल लिमिटेड**" के पक्ष में डिमांड ड्राफ्ट के रूप में जमा करनी होगी। सम्पत्ति का निरीक्षण **11 सितंबर 2026** को **प्रातः 11 बजे से सायं 5.00 बजे** के बीच किया जा सकता है।

नोटः इच्छुक बोलीदाता **टाटा केपिटल लिमिटेड मोबा.नं. +91-8691005238 / प्राधिकृत अधिकारी श्री राज यादव** से **ई–मेल आईडी raj.yadav@tatacapital.com** तथा **मो.नं. +91-9672075151** पर संपर्क कर सकते हैं।

विक्रय के विस्तृत नियम एवं शर्तों के लिए कृपया प्रतिभूत लेनदार की वेबसाइट **http://www.tatacapital.com/content/dam/tcl/04th-e-Auction-Sale-Newspaper-Publication-Garvit.pdf** पर दिये गये लिंक को देखें।

ह/–
स्थान : आगरा (उत्तर प्रदेश) — (प्राधिकृत अधिकारी)
दिनांक : 26–08–2026 — टाटा कैपिटल लिमिटेड

केनरा बैंक Canara Bank

सिंडिकेट Syndicate

विशिष्ट एआरएम II शाखा: दूसरी मंजिल, स्पेंसर टावर्स, एमजी रोड, बेंगलुरु 560001
मेल आईडी: cb6298@canarabank.com | संपर्क संख्या: 948354411/9464534482

सांकेतिक कब्जा सूचना

संदर्भ : ARM II/PN/KIRAN/741/2026-2027

जैसाकि, निम्नहस्ताक्षरकर्ता, 'वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002' (2002 का अधिनियम 54) के तहत केनरा बैंक के अधिकृत अधिकारी होने के नाते, तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 (12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दिनांक 18.06.2026 को एक मांग सूचना जारी कर उधारकर्ता:

1. श्री किरण भैरन्नवर, पुत्र श्री अशोक, नं. 19/2, कैवेलरी लाइंस, दिल्ली यूनिवर्सिटी, नॉर्थ दिल्ली–110007

1ए. श्री किरण भैरन्नवर, पुत्र श्री अशोक, जी वी डिजाइन, नं. 19वां ए मेन रोड, मारेनाहल्ली, दूसरा फेज, जेपी नगर, बैंगलोर, कर्नाटक–560078

2. श्री दिलीप कुमार (गारंटीकर्ता), पुत्र श्री राजेंद्रन, नं. 11, रामकृष्ण बिल्डिंग, बोरवेल रोड, एचएएल पोस्ट, अन्नासंद्रापाल्या, बेंगलुरु–560117

3. मेसर्स एसोसिएट ड्वेलिंग्स (पी) लिमिटेड (बिल्डर), जिसका प्रतिनिधित्व इसके प्रबंध निदेशक श्री पी.के. राजेश कर रहे हैं, जिसका पंजीकृत कार्यालय नं. 302, तीसरी मंजिल, देवथा प्लाजा, रेजीडेंसी रोड, बैंगलोर – 560025 पर स्थित है;

को उक्त सूचना प्राप्त होने की तिथि से 60 दिनों के भीतर रु. 51,57,340.12/– (केवल इक्यावन लाख सत्तावन हजार तीन सौ चालीस रुपये और बारह पैसे) की राशि तथा उस पर देय ब्याज का भुगतान करने का आह्वान किया गया था।

उधारकर्ता उक्त राशि का भुगतान करने में विफल रहे हैं, अतः एतद्द्वारा उधारकताओं और आम जनता को सूचित किया जाता है कि निम्नहस्ताक्षरकर्